

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 अप्रैल 2020 — वैशाख 1, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2020

क्रमांक 3225/82/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./2020. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-04-2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 4 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम, 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2020
विस्तार तथा कहलायेगा।

प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का 2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) (जो
संशोधन. इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में,-

(एक) खण्ड (1) को (1-क) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाये; तथा

(दो) खण्ड (1-क) के पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“(1) “एजेंसी” से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अंतर्गत पंजीकृत

फर्म (संस्थायें) तथा प्रोप्राइटरशिप फर्म
(संस्थायें);”

3. मूल अधिनियम में, धारा 17 में, उप-धारा (3) में,—

धारा 17 का
संशोधन.

(एक) खण्ड (क) में, अर्ध विराम चिन्ह “;” के स्थान पर,
कोलन चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित
किया जाये, अर्थात्:—

“परन्तु यह कि उपरोक्त प्रावधान, उन
राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों को लागू नहीं होंगे, जो
किसी नगरीय क्षेत्र में से होकर गुजरते हैं ।”

4. मूल अधिनियम में,—

धारा 38—क का
संशोधन.

(क) धारा 38—क में, शब्द “तीन सौ रुपये” तथा “दो हजार
रुपये” के स्थान पर, क्रमशः शब्द “दस हजार रुपये”
तथा “पचास हजार रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) धारा 38—क के पश्चात्, पूर्ण विराम चिन्ह “।” के स्थान
पर, कोलन चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ग) धारा 38—क के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये,
अर्थात्:—

“परन्तु राज्य शासन या राज्य शासन के पूर्ण
स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन निगम, द्वारा संचालित

अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी, विधिविरुद्ध कृत्य के लिये उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिस पर अपराध अधिरोपित किया गया है।”

धारा 39 का
संशोधन.

5.

धारा 39 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“39. अनुज्ञप्तिधारी आदि द्वारा अवचार के लिये शास्ति.— इस अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा पत्र या पास का कोई धारक या ऐसे धारक के नियोजन में के और उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो,—

(क) किसी आबकारी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर या ऐसी मांग करने के लिये सम्यक् रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर ऐसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास साशय प्रस्तुत करने में विफल रहता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(ख) धारा 34 द्वारा उपबंधित किसी मामले में के सिवाय, धारा 62 के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(ग) अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग करने का कोई भी कृत्य, जो कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित नहीं है, करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा:

परन्तु राज्य शासन या राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन निगम द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी, विधिविरुद्ध कृत्य के लिये उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिस पर अपराध अधिरोपित किया गया है।”

**धारा 44 का
संशोधन.**

6.

मूल अधिनियम में, धारा 44 में,—

(एक) प्रथम परन्तुक में, पूर्ण विराम चिन्ह “।” के स्थान पर,
कोलन चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) प्रथम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये,
अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि राज्य शासन या राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रणाधीन निगम द्वारा संचालित अनुज्ञप्तियों के मामले में, नियत क्रम में उनके द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारी, विधिविरुद्ध कृत्य के लिये उत्तरदायी होंगे। उक्त अवैधानिक कृत्य का भार ऐसे व्यक्ति पर होगा, जिस पर अपराध अधिरोपित किया गया है।”

अटल नगर, दिनांक 21 अप्रैल 2020

क्रमांक 3225/82/21—अ/प्रारूपण/छ.ग./2020. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2020 (क्रमांक 4 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यू. के. काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 4 of 2020)

THE CHHATTISGARH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2020.

An Act further to amend the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-First Year of the Republic of India, as follows:-

- | | |
|--|---|
| <p>1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Excise (Amendment) Act, 2020.</p> <p>(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.</p> <p>(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.</p> | <p>Short title, extent and commencement.</p> |
| <p>2. In the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), (hereinafter referred to as the Principal Act), in Section 2, -</p> <p style="padding-left: 40px;">(i) clause (1) shall be re-numbered as (1-a); and</p> <p style="padding-left: 40px;">(ii) before clause (1-a), the following shall be inserted, namely:-</p> <p style="padding-left: 80px;">"(1) "Agency" means firms registered under The Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013), The Partnership Act, 1932 (No. 9 of 1932) and Proprietorship Firms;"</p> | <p>Amendment of Section 2.</p> |

**Amendment of 3.
Section 17.**

In the Principal Act, in Section 17, in sub-section (3),-

(i) in clause (a), for the punctuation semi colon ";", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(ii) after clause (a), the following shall be inserted, namely:-

“Provided that the above provision shall not be applicable for those National/State Highways which pass within any municipal area.”

**Amendment of 4.
Section 38-A.**

In the Principal Act,-

(a) in Section 38-A, for the words "three hundred rupees" and "two thousand rupees", the words "ten thousand rupees" and "fifty thousand rupees" shall be substituted, respectively;

(b) after Section 38-A, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(c) after Section 38-A, the following shall be added, namely :-

“Provided that in case of licenses managed by the State Government or Corporation fully owned and controlled by the State Government, employees appointed by agency authored by them in due course shall be responsible for unlawful act. The burden of said

illegal act shall be on such person own whom offence has been imposed.”

5. For Section 39, the following shall be substituted, namely:-

**Amendment of
Section 39.**

"39. Penalty for misconduct by licensee, etc.-

A holder of a license, permit or pass granted under this Act or any Person in the employ of such holder and acting on his behalf, who intentionally,-

- (a) fails to produce such license, permit or pass on the demand of any Excise Officer or of any other Officer duly empowered to make such demand, shall be punishable by an imprisonment for term upto three months or a fine of twenty five thousand rupees or both;
- (b) save in a case provided for by Section 34, contravenes any rule made under Section 62, shall be punishable by an imprisonment for term upto three months or a fine of One Lakh rupees or both;
- (c) does any act in breach of any of the conditions of the license, permit or pass not otherwise provided for in this Act, shall be punishable by an imprisonment for term upto three

months or a fine of One Lakh rupees or both:

Provided that in case of licenses managed by the State Government or Corporation fully owned and controlled by the State Government, employees appointed by agency authorised by them in due course shall be responsible for unlawful act. The burden of said illegal act shall be on such person own whom offence has been imposed."

**Amendment of
Section 44.**

6.

In the Principal Act, in Section 44,-

- (i) in the first proviso, for the punctuation full stop ".", the punctuation colon ":" shall be substituted;
- (ii) after the first proviso, the following shall be added, namely :-

"Provided further that in case of licenses managed by the State Government or Corporation fully owned and controlled by the State Government, employees appointed by agency authored by them in due course shall be responsible for illegal act. The burden of said illegal act shall be on such person own whom offence has been imposed."